

आदेश

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के पत्रांक 575(9)रा0 दिनांक 18.11.2014 के द्वारा विभागीय पत्रांक 491ए0/रा0 दिनांक 9.10.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए राजस्व शिविरो के संचालन हेतु प्राप्त निहित निदेश के आलोक में राजस्व हल्को में शिविर न्यायालय आयोजित कर राजस्व संबंधी मामलो एवं दाखिल खारिज मामलो का निष्पादन की कार्रवाई की जानी है। नवादा जिलान्तर्गत प्रत्येक अंचल में प्रति सप्ताह के बुधवार को एक ही स्थान पर दो तिथियों में राजस्व शिविर आयोजित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष-2016-17 के लिए पंचायतो के केन्द्र स्थल का कैलेण्डर निम्नरूपेण प्रकाशित किया जाता है।

क्र0	अंचल का नाम	संबंध पंचायत का नाम	केन्द्र स्थल का नाम	प्रथम शिविर की तिथि	द्वितीय शिविर की तिथि
01	02	03	04	05	06
01	अकबरपुर	बडैल, सकरपुरा, फरहा, बरेब, परतोकरहरी	उच्च विद्यालय बरेब	8.02.17	22.02.17
		भनैल लोदीपुर, नेमदारगंज, पंचगावाँ, कुलना, लेदहा	म0 वि0 नेमदारगंज	15.02.17	01.03.17
		माखर, गोविन्दबिगहा, पैजना, फतेहपुर तैयार	म0 वि0 फतेहपुर	08.03.17	29.03.17
		पचरुखी, बलिया बुर्जुग, बकसन्डा, पांती बुधुआ	पंचायत भवन पचरुखी	15.03.17	—
02	नरहट	नरहट, खनवाँ, कोनीवर, जमुआरा, सैदापुर	सामुदायिक भवन कोनीवर	8.02.17	22.02.17
		शेखपुरा, पुनौल, पुन्थर, पालीखूर्द, वमनौर,	राजस्व कचहरी पुनौल	15.02.17	01.03.17
03	सिरदला	सिरदला, अकौना, चौबे, बाँधी, धिरौन्ध	ग्राम कचहरी सिरदला	8.02.17	22.02.17
		अब्दुल, साँढ मझगाँवा, खटौंगी, चौकिया, धंधट,	सामुदायिक भवन साँढ	15.02.17	01.03.17
		बडगाँव, लौद, उपरडिह, राजन, खनपुरा	सामुदायिक भवन लौद	08.03.17	29.03.17
04	रजौली	रजौली प0, टकुआटाँड सिराडाबर, चितरकोली, हरदिया,	सामुदायिक भवन हरदिया	8.02.17	22.02.17
		मुरहेना, फरक्का बुर्जुग, सवैयाटाँड, धमनी, रजौली पूर्वी	मध्य विद्यालय मुरहेना	15.02.17	01.03.17
		लेगुरा, अम्वाँ पूर्वी, अम्वाँ पश्चिमी, अंधरवारी, बहादुरपुर	मध्य विद्यालय अमाँवा	08.03.17	29.03.17
		जोगियामारन	म0 विद्यालय जोगियामारन	15.03.17	—

5	रोह	रोह, मोरमा, कोशी, छनौन, भीखमपुर,	प्रखण्ड सभागार भवन रोह	8.02.17	22.02.17
		मरुई, मडॅरा, सिउर, भटटा, डुमरी	पंचायत भवन बारा पाण्डेय	15.02.17	01.03.17
		ओहारी, नजरडीह, कुंज, सम्हरीगढ	प्रखण्ड सभागार भवन रोह	08.03.17	29.03.17
06	गोविन्दपुर	सरकण्डा, बनियाबिगहा, विशनपुर, गोविन्दपुर, बकसोती,	राजस्व कचहरी विशनपुर	8.02.17	22.02.17
		भवनपुर, थाली, बुधवारा, माधोपुर,	राजस्व कचहरी थाली	15.02.17	01.03.17
7	हिसुआ	धनवाँ, पचाढाँ, छतिहर, बगोदर, सोनसा,	पंचायत भवन धनवाँ	8.02.17	22.02.17
		दोना, कैथिर, तुंगी, चितरघटी, हदसा	ग्रम कचहरी बुधौल	15.02.17	01.03.17
8	नवादा	कादिरगंज, आंती, ननौरा, जमुआंवा, पटवासराय, पौरा	सामुदायिकभवन कादिरगंज	8.02.17	22.02.17
		सोनसिहारी, ओरैना, भदोखरा, केना, खरॉट,	पंचायत भवन ओरैना	15.02.17	01.03.17
		महुली, झुनाठी, भगवानपुर, भदौनी, गोनावॉ (बुधौल)	पंचायत भवन महुली	08.03.17	29.03.17
		देदौर, समाय, लोहरपुरा,	पंचायत भवन समाय	15.03.17	—
9	काशीचक	खखरी, सुभानपुर, विरनावॉ, बेलङ चण्डीनावॉ,	राजस्व कचहरी बेलङ	8.02.17	22.02.17
		पार्वती, रेवरा जगदीश,	म0 वि0 रेवरा	15.02.17	01.03.17
10	पकरीवरावाँ	ढोढा, धमौल, बेलखुण्डा, गुलनी, दतरौल	पंचायत भवन धमौल	8.02.17	22.02.17
		बुधैली, ज्यूरी, कबला, एरूरी, पकरीवरावाँ द0	पंचायत भवन बुधैली	15.02.17	01.03.17
		डुमरावाँ, पोकसी, धेवधा कोनन्दपुर, उकौडा	पंचायत भवन धेवधा	08.03.17	29.03.17
		पकरीवरावाँ उत्तरी	राजस्व कचहरी पकरीवरावाँ थाना के पास	15.03.17	—
11	नारदीगंज	कोशला, ओड़ो, नारदीगंज, कहुआरा, परमा,	पंचायत भवन नारदीगंज	8.02.17	22.02.17
		हडिया पेश, डोहडा, मसौडा, ननौरा	पंचायत भवन हडिया	15.02.17	01.03.17
		इचुआकरना	सामुदायिक भवन इचुआकरना	08.03.17	29.03.17
12	बारिसलीगंज	शाहपुर, चकवाय, अपसढ, मोहीउद्धीनपुर, कोचगाँव	सामुदायिक भवन चकवाय	8.02.17	22.02.17
		कुटरी, पैंगरी, सौर, बरनावॉ, माफी,	पंचायत भवन सौर	15.02.17	01.03.17
		मंजौर, हाजीपुर, दोसुत, बाधीबरडिहा, मकनपुर	पंचायत भवन हाजीपुर	08.03.17	29.03.17
		मोसमा	पंचायत भवन मोसमा	15.03.17	—

13	कोआकोल	महुँडर, लालपुर, पहाड़पुर, कोआकोल, सेखोदेवरा,	राजस्व कचहरी कोआकोल	8.02.17	22.02.17
		सरौनी, दरावों, छवैल, खड़सारी, देवनगढ	म0 वि0 सरौनी	15.02.17	01.03.17
		मंशिला, पांडे गंगौट, पाली, नवाडिह, केवाली	राजस्व कचहरी नवाडिह	08.03.17	29.03.17
14	मेसकौर	मिर्जापुर, बड़ोसर, तेतरिया, मेसकौर, विसियात	पंचायत भवन विसियात	8.02.17	22.02.17
		अकरी, रसलपुरा, बारत, सहवाजपुर, बिजु बिगहा	हाट भवन सीतामढी	15.02.17	01.03.17

1. शिविरों के दिन R.T.P.S Counter पर प्राप्त दाखिल खारिज के आवेदनो को रोज की भांति Counter के कम्प्यूटरो में दर्ज किया जाय। कैम्प की समाप्ति के पश्चात R.T.P.S Counter के कम्प्यूटर में कैम्प में प्राप्त आवेदनो की प्रविष्टी करायी जाय। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है, कि R.T.P.S Counter पर उपलबध कम्प्यूटर सेट के Software मे Camp मे प्राप्त आवेदनो की प्रविष्टी का Provision है। अतः Camp Mode में जाकर फिर प्राप्त आवेदनो की प्रविष्टी करा ली जाय। अंचलवार कैम्प की पंजी अवश्य संधारित करेगें।
2. अंचल अधिकारियों को निदेशित किया जाता है, कि वे 10:00 बजे पूर्वाह्न से 5:00 बजे अपराह्न तक शिविर न्यायालय में उपस्थित रहकर दाखिल खारिज वादो के निष्पादन के साथ ही रैयतो से लगान की वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों का निष्पादन शिविर न्यायालय में ही करें।
3. बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा-3(2) एवं (3) में शिविर न्यायालय में दाखिल खारिज का आवेदन प्राप्त करने एवं आवेदक को शिविर न्यायालय में ही पावती रसीद देने का प्रावधान अंकित किया गया है। अतः शिविर न्यायालय में आवेदक को दाखिल खारिज आवेदन पत्र के आलोक में पावती दिया जाए।
4. विवादित मामलो में पक्षकारो को सुनवाई एवं अपना अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाय एवं विवाद की जाँच पड़ताल कर विधिवत सुनवाई कर अगले 15 दिनों बाद दोबारा आयोजित होने वाले शिविर न्यायालय में वैसे विवादग्रस्त मामलो का निष्पादन किया जाय।
5. राजस्व शिविर आयोजन से संबंधित कार्यक्रम की प्रति अंचल कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के साथ ही संबंधित पंचायत भवन/पंचायत सरकार भवनो के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाए। उक्त साथ ही कार्यक्रम की प्रति पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं अन्य सभी संबंधित को दी जाय।
6. शिविर न्यायालय में बेदखली/अभियान वसेरा संबंधित कार्य की भी निष्पादन करेगें।
7. शिविर न्यायालय आयोजन के कार्यक्रम का ध्वनि विस्तारकें यंत्र समाचार पत्रो एवं अन्य माध्यमो से व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए।
8. शिविर न्यायालयो में अंचल अधिकारियों एवं राजस्व कर्मियों द्वारा राजस्व कार्यों का निष्पादन की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण भी आवश्यक है। अपर समाहर्ता, नवादा अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा /रजौली भूमि सुधार उप समाहर्ता, नवादा /रजौली एवं संबंधित प्रखण्ड/अंचल के वरीय

प्रभारी भी कुछ राजस्व कैम्पो का भ्रमण कर राजस्व कार्यों के निष्पादन की गुणवत्ता को अक्षुण्ण रखना सुनिश्चित करेंगे।

9. उक्त निर्धारित शिविर में निर्धारित तिथि समय एवं स्थान पर संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी उपस्थित होकर कैम्प का समुचित ढंग से आयोजन करेंगे तथा राजस्व कार्यों का निष्पादन करेंगे।
10. शिविर न्यायालय के आयोजन के अगले दिन प्रसांगिक पत्र में अंकित दाखिल खारिज के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला राजस्व शाखा, नवादा को पूर्वाहन 10:00 बजे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- उपरोक्त विन्दुओं का दृढ़ता से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।


प्रतिमाह निम्नांकित प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजा जाय:-

जिला का नाम	अंचल का नाम	शिविर का स्थान	प्रथम शिविर की तिथि	द्वितीय शिविर की तिथि	कुल प्राप्त मामले	कुल निष्पादित मामले	कुल अस्वीकृत कुल लंबित

ह0/-
समाहर्ता
नवादा।

ज्ञापांक 86 / दिनांक 20/10/2017

- प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, नवादा को जिला बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, नवादा को विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सभी अंचल अधिकारी, नवादा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सभी अंचल के वरीय पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- भूमि सुधार उप समाहर्ता, नवादा/रजौली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी नवादा/रजौली को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त, नवादा/अपर समाहर्ता नवादा
- प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक नवादा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है, कि अपने स्तर से सभी थानाध्यक्षों, को इसमें आपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु निदेश देने की कृपा की जाय।


समाहर्ता
नवादा।